एक नजर में

नकली लोगो लगाकर ट्रैक सूट बेचने पर प्राथमिकी

बरेली : नकली लोगो लगाकर ट्रैक बेचना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। आरोपित प्रांशु के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी व कापीराइट एक्ट में प्राथमिकी लिखी। दारोगा जितेंद्र कुमार की ओर से लिखाई गई प्राथमिकी में बताया गया कि प्रांशु सदर कैंट का निवासी है। वह शिव नरेश कंपनी का नकली लोगो लगाकर ट्रैक सूट बेचता था। जानकारी पर उसकी दुकान पर पहुंचे तो 37 ट्रैक सूट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह दिल्ली से सस्ते दाम पर ट्रैक सूट लाता था। यहां नकली लोगो लगाकर महंगे दाम पर बेचता था। टीम आरोपित को थाने ले लाई। थाने से नोटिस तामील कराकर उसे छोड़ा गया। पुलिस जांच में जुटी है। जासं

सात को वार्षिक निरीक्षण करेंगे उत्तर रेलवे महाप्रबंधक

बरेली : मुरादाबाद रेल मंडल में उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल के वार्षिक निरीक्षण को लेकर तैयारी की जा रही है। पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में उन्हें आना था। बाद में इसकी तिथि 13 जनवरी की गई थी। अब निरीक्षण की तिथि सात दिसंबर की गई है। इसी शेड्यूल के मुताबिक ही उत्तर रेलवे महाप्रबंधक वार्षिक निरीक्षण करेंगे। प्लेटफार्म के काफी समय से खराब पखों और एलसीडी को चालू हो गए है।जासं

टेस्ट पास कराने दे[illegible]जर की कार

साफ्टवेयर में भी छेड़छाड़ : आटोमेटिक ट्रैक संचा[illegible] की मिलीभगत जांच में आई सामने

जागरण फालोअप

जागरण संवाददाता, बरेली : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में हेराफेरी के लिए आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (एडीटीटी) के मानकों, नियमों को तोड़ दिया गया। अक्टूबर में एक साथ दर्जनों लाइसेंस जारी होने पर जांच बैठी तो ट्रैक संचालन करने वाली कंपनी की भूमिका पर सवाल उठ गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के सुपरवाइजर की निजी कार से दर्जनों आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट कराया गया। इनमें अधिकतर पास हुए और ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। बिना साठगांठ टेस्ट देने वाले जो लोग फेल हो गए, बाद में उन्हें पास कराने के लिए साफ्टवेयर में छेड़छाड़ की गई। अधिकारियों ने शासन को इस संबंध में जानकारी दे दी है।

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक यदि टेस्ट में एक बार फेल हो जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलता। ट्रैक देखरेख एवं टेस्ट कराने की जिम्मेदारी मैसर्स राईज टैक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड तथा न्यू लुक स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान के पास है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कंपनी सुपरवाइजर दशरथ लांबा के नाम से पंजीकृत कार से कई आवेदकों को टेस्ट कराकर पास कराया गया। उनके संपर्क में आने वाले जो आवेदक पहले फेल हो चुके थे, उन्हें दोबारा टेस्ट दिलाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए साफ्टवेयर से उनके पुराने स्टेट का ब्योरा रीसेट किया गया। सीसीटीवी कैमरों में भी इससे संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं।

जांच अधिकारी एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह व आरआइ टेक्निकल मानवेंद्र प्रताप सिंह, डीबीए आदित्य ने सीसीटीवी फुटेज देखें तो पता चला कि सुपरवाइजर दशरथ लांबा की कार से कई लोगों को टेस्ट दिलाया गया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार, आवेदक को अपना वाहन लेकर आना चाहिए। सुपरवाइजर की कार से टेस्ट दिलाना गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। इसकी फुटेज लखनऊ भेज दी गई हैं। आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में टेस्ट के दौरान कई बड़े नेता व अधिकारी के ड्राइवर भी फेल हो गए थे। अक्टूबर में अचानक बड़ी संख्या में लोग पास हुए तभी शक हो गया था।

साक्ष्य मिलने के बाद भी टेस्ट करा रही कंपनी : नामित कंपनी के सुपरवाइजर के विरुद्ध साक्ष्य मिलने के बाद भी रोक नहीं लगाई गई है। शुक्रवार को भी कंपनी के कर्मचारी आवेदकों के टेस्ट कराते रहे। इस पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कंपनी शासन स्तर से तय हुई है। मुख्यालय से आदेश आए बिना उन्हें काम से नहीं रोका जा सकता।

परसखेड़ा में बना आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक • जागरण आर्काइव

एडीटीटी पर देर रात टेस्ट देती सुपरवाइजर दशरथ लांबा के नाम से पंजीकृत कार • वीडियो ग्रैब

10 लोगों ने की थी आठ-आठ हजार रुपये लेने की शिकायत

एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह ने बताया कि आवेदकों का आरोप था कि कंपनी के लोगों ने आठ-आठ हजार रुपये लेकर लाइसेंस बनाए थे। एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को उत्तीर्ण हुए किसी भी आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया। कई लोगों ने विभाग से संपर्क किया। लंबी पूछताछ के बाद 10 लोगों ने शिकायत की कि उनसे आठ-आठ हजार रुपये लिए गए थे। उनकी शिकायत पर जांच चल रही है।

> जांच के दौरान नामित फर्म की ओर से साफ्टवेयर से छेड़छाड़ के साक्ष्य मिले हैं। सुपरवाइजर के नाम से पंजीकृत कार से भी कई लोगों को टेस्ट कराया गया है। सभी साक्ष्यों को लखनऊ भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया है।
>
> **- कमल प्रसाद गुप्ता**, आरटीओ बरेली
>
> लगाए गए आरोप निराधार हैं, हमारी फर्म के कर्मचारियों द्वारा किसी से भी कोई रुपये नहीं लिए गए हैं। सभी टेस्ट पूरी तरह से मानक के अनुरूप ही हुए हैं।
>
> **- दशरथ लांबा**, सुपरवाइजर एडीटीटी संचालन फर्म

आरोपित टीटीई के विरुद्ध प्राथमिकी में हत्या की धारा बढ़ी

जागरण फालोअप

जासं, बरेली : राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ते समय जवान को धक्का देने मामले में जीआरपी ने आरोपित टीटीई के विरुद्ध लिखी गई प्राथमिकी में अब हत्या की धारा में परिवर्तित किया है। सेना अस्पताल की ओर से दिए गए मेडिकल प्रमाण पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी में हत्या की धारा लिखी गई। वहीं प्रकरण में मृतक के स्वजन द्वारा जीआरपी पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। जीआरपी ने भी तेजी दिखाना शुरू किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को दिल्ली, लखनऊ व गुवाहटी भेजा गया है। प्रकरण में रेलवे के साथ ही सेना पुलिस ने भी अपने स्तर से विभागीय जांच शुरू कर दी है।

17 नवंबर की सुबह 9.12 बजे डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ते समय राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट किशनगढ़ राजस्थान की यूनिट 24 के फौजी सोनू सिंह का एक पैर कट गया और दूसरा कुचल गया था। कैंट स्थित सेना अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी तीन सर्जरी की, इसके बाद भी उन्हें होश नहीं आया। इंफेक्शन बढ़ता देख उनका दूसरा पैर भी काटना पड़ा था। उपचार के दौरान बुधवार को उन्हें मृत घोषित किया गया। ट्रेन के टीटीई कृपन बोरे पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी जीआरपी में सेना का सूबेदार की ओर से लिखाई गई थी। सेना जवान की मौत के बाद प्राथमिकी में हत्या की धारा बढ़ाई गई है। वहीं आरोपित टीटीई की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट मांगा है। जो कि शनिवार को मिलने की उम्मीद है। एनबीडब्ल्यू मिलने के बाद टीम गिरफ्तारी के लिए गुवाहटी रवाना होगी।

जल्द नहीं हुआ आरोपित गिरफ्तार तो होगा इनाम घोषित : पूरी घटना के बाद रेलवे महकमा टीटीई का कोई दोष न होने की बात कह रहा है वहीं आरोपित मोबाइल बंद कर विभाग से छुट्टी लेकर गायब है। टीटीई की गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू जीआरपी ने मांगा है। वहीं इसके बाद भी अगर आरोपित नहीं मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी जीआरपी घोषित कर सकती है।

रेलवे ने टीटीई के पक्ष में सीसीटीवी फुटेज व पत्र किया जारी

राजधानी एक्सप्रेस के आरोपित टीटीई कृपन बोरे के पक्ष में उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज व पत्र जारी किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि फौजी सोनू कुमार सिंह बिना टिकट के राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। टीटीई ने उन्हें जंक्शन पर उतार दिया था। इसके बाद भी दोबारा से चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय उनका पैर फिसला और वह गिर गये। रेलवे के मुताबिक विभागीय जांच में कई गवाहों के बयान लिए गए इसमें भी धक्का देने की पुष्टि नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी धक्का देने की पुष्टि नहीं हुई।

परिचितों पर नाबालिग के अपहरण का आरोप, प्राथमिकी

जासं, बरेली : आंवला निवासी किशोरी के पिता ने बताया कि बेटी प्रेमनगर में रहने वाली बड़ी बेटी के घर गई थी। बुधवार को बड़ी व छोटी दोनों बेटी घर पर अकेली थीं। शाम पांच बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेटी ने दरवाजा खोला तो आरोपित खड़े थे। आरोपित नाबालिग का अपहरण कर ले गए। प्रेमनगर इंस्पेक्टर कृष्णवीर सिंह ने बताया कि तेजवीर, भगवानदास, सजू व सुरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
शाखा-बाराबंकी (00023)
सिविल लाइंस, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225001
जब्ती/बिक्री सूचना

सेवा में,
ऋणी: श्री प्रवीण कुमार शर्मा, 78, आवास विकास कॉलोनी 122, सिविल लाइंस बरेली (उ.प्र.)
विषय: बिक्री सूचना--ऋण खाता संख्या- 36872747248.
बकाया धनराशि-रू. 8.69 लाख + भविष्य का ब्याज व अन्य व्यय
यह आपके द्वारा लिये गए ऋण खाते के संबंध में हमारे पहले के नोटिसों के संदर्भ में है।
देय राशि का भुगतान करने में आपकी विफलता पर, बैंक ने ऋण राशि के तहत खरीदे गए **वाहन पंजीकरण सं.: UP25CT2003, एंजेल / वाहन बनावट:** Toyota Innova Crysta 2.4G, **इंजन सं.** 2GDA097808, **चेसिस सं.** MBJJB8EM801519907 को जब्त कर लिया है।
चूंकि आपको बार-बार अवगत कराने और सूचना देने के बावजूद बकाया चुकाने में विफल रहे हैं। इसलिए ऋण खाते के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए वाहन बेचने का निर्णय लिया गया है। बैंक इस नोटिस की समाप्ति के 7 दिनों की समाप्ति के बाद बैंक को स्वीकार्य मूल्य पर सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि या बिक्री के किसी अन्य तरीके के माध्यम से वाहन नीलाम कर देगा। यदि वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि ऋण खाते की संपूर्ण देय राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो बैंक शेष बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी नीलामी शुरू करेगा जिसके लिए पूर्ण निर्वहन तक आप पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। आपको 7 दिनों के भीतर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरी ऋण राशि चुकाने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर बैंक द्वारा वाहन को ऋण के तहत देय राशि के लिए बेच दिया जाएगा।
नोट: हमारी तरफ से ये आखिरी सूचना जारी किया गया है, इसके बाद बैंक के तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं की जाएगी।
दिनांक: 26.11.2022 स्थान: बाराबंकी प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक